

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स. 3-5(4)स्था/राजपत्रित/अभि/2016/५११-८७७ जयपुर, दिनांक:- 16.03.2024

**आदेश**

श्री सतीश कुमार, सहायक अभियोजन अधिकारी, न्यायालय सीजे(जेडी)जेएम, रामगढ, जिला अलवर का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर न्यायालय सीजे(जेडी)जेएम, लक्ष्मणगढ जिला अलवर में सहायक अभियोजन अधिकारी के रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारी की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5. संबंधित अधिकारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन \_\_\_\_\_।
6. संस्थापन शाखा (राजपत्रित)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर